न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फा0ट्रै0) नगर

पीठासीन अधिकारी :– राजवीरसिंह यादव आर0ए0एस0

मुकद्मा नम्बर :– 37/2013

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. फौजा सिंह पुत्र अरजनसिंह जाति रायसिख (मृतक)
   - 1/1 रतनसिंह
   - 1/2 दर्शनसिंह
   - 1/3 उदयसिंह
   - 1/4 मोहनसिंह
   - 1/5 पूरनसिंह

   पिस0 फौजासिंह जाति रायसिख निवासी पीरा वाली हिसार जिला व तह0 हिसार (हरियाणा)

   1/6 स्वर्णकौर पुत्री फौजासिंह जाति रायसिख निवासी पीरा वाली हिसार जिला व तह0 हिसार (हरियाणा)

वादीगण

बनाम

1. जुम्मा पुत्र छोटा
2. आसू
3. इल्ली

   पिस0 जुम्मा जाति मेव निवासी ग्राम तेस्की तह0 नगर (भरतपुर)

4. तहसीलदार तहसील नगर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88–89, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री रामजीलाल शर्मा, अधिवक्ता वादीगण
2. दीनदयाल गर्ग, अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 04/12/2017

वादीगण ने यह दावा इस आश्य का संस्थित किया है कि हाल आ0ख0नं0 190/0.11, 240/0.16, 241/0.16, 242/0.16, 244/0.09, 245/0.16, 246/0.11, 247/0.08, 249/0.06, 250/0.11, 251/0.07, 252/0.09, 253/0.06, 254/0.03, 255/0.04, 256/0.05, 257/0.07, 258/0.03, 259/0.03, 260/0.07, 261/0.03, 262/0.03 किता 22 रकबा 1.80 हैक्टे0 का 1/10 हिस्सा चाह 263 बाके ग्राम तेस्की तह0 नगर जिनके साबिक ख0नं0 426/1.04, 428/1.18, 427/1.10, 428/2.02, 435/1.00, 436/1.00 किता 7 रकबा 10 बीघा 1 विस्वा

बाके ग्राम तेस्की तह0 नगर का वादी खातेदार काश्तकार था, जो वादी की पुश्तैनी आराजी है । वादी को राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार गलत रूप से दर्ज किया जा रहा है जिसमें वादी अपने आपको खातेदार दर्ज कराने का अधिकारी है । प्रतिवादीगण ने एक फर्जी वयनामा के आधार पर सहायक कलक्टर नगर में एक दावा अन्तर्गत धारा 88–89, 188 आर0टी0एक्ट0 प्रस्तुत किया था जो दिनांक 08.01.2001 को खारिज कर दिया गया था । इनसे चिढकर प्रतिवादीगण ने दिनांक 09.01.2001 को वादी के स्वामित्व व अधिपत्य की आ0मुत0 को अतिक्रमण कर जोत वो दिया था तथा कब्जा कर लिया जिससे वादी को असीम क्षति होगी जिससे वादी प्रतिवादीगण को वेदखल कराकर पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है । अन्त में निवेदन किया है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी को वि0आ0 पर खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे ।

दावा दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 4 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर दिनांक 08.08.08 को एक तरफा कार्यवाही की गई । प्रतिवादीगण 1 से 3 ने जबाव दावा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी वि0आ0 का खातेदार काबिज काश्तकार था । वादी ने अपना 1/10 हिस्से की समस्त आराजी मुत0 प्रतिवादी जुम्मा को जरिए रजि0 वयनामा दिनांक 16.06.78 विक्रय कर मौके पर कब्जा दे दिया, इसलिए वादी डिक्लेरेशन प्राप्त करने का अधिकारी नही है । वादी को कोई विनाय मुखासमत पैदा नही होती है जिससे दावा अन्तर्गत आदेश 7 नियम 18 जा0दी0 खारिज किये जाने योग्य हैं । वादी मुताबिक पंजीकृत विक्रय पत्र खातेदारी व कब्जा वापिसी का दावा कानूनी सिद्धान्तों के आधार पर काश्तकारी अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार कोई अनुतोष न्यायालय हाजा से प्राप्त नही कर सकता है । अंत में निवेदन किया है कि दावा वादी मय खर्चा खारिज किया जावे ।

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर दिनांक 29.09.2008 को तनकियात कायम की गई –

1. आया वादी विवादित आ0ख0नं0 190/0.11, 240/0.16, 241/0.16, 242/0.16, 244/0.09, 245/0.16, 246/0.11, 247/0.08, 249/0.06, 250/0.11, 251/0.07, 252/0.09, 253/0.06, 254/0.03, 255/0.04, 256/0.05, 257/0.07, 258/0.03, 259/0.03,

260/0.07, 261/0.03, 262/0.03 किता 22 रकबा 1.80 हैक्टे0 का 1/10 हिस्से व चाह 263 बाके ग्राम तेस्की तह0 नगर के बारे में वाद पत्र में चाही गई डिक्री इश्तकरार हक प्राप्त करने का अधिकारी है ? —— जिम्मे वादी

2. आया वादी उक्त विवादित आराजी के बारे में डिक्री दखलयावी एवं हुक्म इम्तनाई दवामी विरूद्ध प्रतिवादीगण पाने का मुश्तहक है ? —— जिम्मे वादी

3. आया वादी ने प्रतिवादी जुम्मा के हम में विवादित आराजी का बेचान कर मौके पर कब्जा दे दिया था और प्रतिवादी काबिज काश्त चला आ रहा है ? —— जिम्मे प्रति0

4. आया वादी मुताबिक पंजीकृत विक्रय पत्र खातेदारी व कब्जा वापिसी का दावा कानूनी सिद्धान्तों के आधार पर व काश्तकारी अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार पेश नही कर सकता एवं कोई भी अनुतोष न्यायालय हाजा से प्राप्त नही कर सकता है? जिम्मे प्रति0

5. आया विवादित आराजी कस्टोडियन भूमि है एवं वादी के कथन एवं मौके व विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी जुम्मा का कब्जा व खातेदारी काश्तकारी की हैसियत से जुम्मा मौके पर काबिज होना प्रमाणित है जिससे वादी का दावा काबिले खारिज है ? — जिम्मे प्रति0

6. दादरसी ?

वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी सं0 2060–62 प्रदर्श पी0–1, नकल फैसला व डिक्री सहायक कलक्टर नगर उनवानी जुम्मा बनाम फौजासिंह निर्णय दिनांक 08.01.2001 प्रदर्श पी–2, नकल खसरा पत्रक भू प्रबंध विभाग प्रदर्श पी–3, नकल जमाबंदी सं0 2025 प्रदर्श पी–4 दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में वादी फौजासिंह पीडब्ल्यू–1, गवाह मोहनसिंह पीडब्ल्यू–2, रतनसिंह पुत्र फौजासिंह पीडब्ल्यू–3 के बयान कराये हैं । प्रतिवादीगण ने अपने पक्ष में नकल वयनामा दिनांक 17.06.78 प्रदर्श डी–1 दस्तावेज प्रस्तुत किये तथा मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी जुम्मा डीडब्ल्यू–1, गवाह इकबाल पुत्र बम्बू डीडब्ल्यू–2 के बयान कराये हैं ।

हमने उभय पक्ष के विद्धान अभिभाषकों की वहस सुनी तथा पत्रावली में आद्योपान्त ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । नकल जमाबंदी सं0 2060–63 प्रदर्श–1 के अवलोकन से विवादित आराजी में वादीगण फौजासिंह का नाम 1/10 हिस्सा पर गैरखातेदार की हैसियत से दर्ज होना साबित है । मुताबिक नकल वयनामा दिनांक 03.07.1978 के वि0आ0 का 1/10 हिस्सा वादी फौजासिंह द्वारा प्रतिवादी जुम्मा के पक्ष में बेचान किया जाना साबित है तथा वयनामा की लाईन नं.

18 में खाली आराजी पर क्रेता को कब्जा दिये जाने का उल्लेख किया हुआ है इससे यह भी स्पष्ट रूप से साबित होता है कि वादी ने वि0आ0 के 1/10 हिस्सा प्रतिवादी जुम्मा को वयनामा के समय ही सन् 1978 ही कब्जा दे दिया था । इस प्रकार उक्त समस्त विवेचन के अनुसार वादी अपने वाद को साबित करने में असफल रहा है । अतः आदेश है कि –

दावा वादीगण खारिज किया जाता है । इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर

निर्णय आज दिनांक 04/12/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर